

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या-01/2018/1642/37-3-2017-7(14)/2017
लखनऊ दिनांक, 08 जनवरी, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश प्रसार अधिकारी एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2002 प्रथम संशोधित नियमावली, 2013 में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान या कृषि के साथ एक विषय के रूप में या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो का प्राविधान किया गया है। सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, शाहमीना रोड, लखनऊ द्वारा श्री ब्रह्मानन्द पाण्डेय पुत्र स्वर्व चन्द्री प्रसाद पाण्डेय का उत्तर मध्यमा परीक्षा वर्ष-2012 का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें विषय के काँलम में अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत काव्य, संस्कृत व्याकरण, हिन्दी भाषा तथा वैकल्पिक विषय 'ख' वर्ग में विज्ञान अंकित है, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एक ही में समाहित है। जीव विज्ञान का एक विषय के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उनकी शैक्षिक योग्यता जीव विज्ञान/विषय विशेषज्ञ की श्रेणी में नहीं आती है और उत्तर प्रदेश प्रसार अधिकारी एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2002 प्रथम संशोधित नियमावली, 2013 में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के विपरीत है।

2- रिट याचिका संख्या-23404/2017 ब्रह्मानन्द पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मार्ग उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2017 के विरुद्ध विभाग द्वारा मार्ग उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में डबल बैंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या-475/2017 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम ब्रह्मानन्द पाण्डेय मार्ग उच्च न्यायालय में योजित की गयी, जिसमें मार्ग उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ORDER

In view of the stand so taken, we set aside the last paragraph of the order of learned single judge dated 24.5.2017, it is provided that the state may respond in the matter of equivalence as per the request of Director U.P. Pashupalan Department of Lucknow within 6 weeks from the date of certified of the certified copy of this order. The matter shall be listed before the writ Court after 6 weeks. The special appeal stands disposed.

Order date%19.09.2017

3- श्री ब्रह्मानन्द पाण्डेय की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराये जाने हेतु अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्र दिनांक 10.11.2014 द्वारा सचिव, ३०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, शाहमीना रोड, लखनऊ से अनुरोध किया गया। सचिव, ३०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, शाहमीना रोड, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-परि०/गो०(८)/१०९८४/२०१४-१५, दिनांक 26.11.2014 द्वारा सत्यापन रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि ३०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा द्वितीय एवं उत्तर मध्यमा विषय की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के समकक्ष हैं। ३०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा की परीक्षाओं में “ख वर्ग” विज्ञान में भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय एक ही में समाहित हैं, जो सामान्य विज्ञान की श्रेणी में आता है, विज्ञान वर्ग विशेष (जीव विज्ञान या कृषि) के समतुल्य नहीं है।

4- उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 के अनुपालन में सचिव, ३०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, शाहमीना रोड, लखनऊ के पत्र संख्या-परि०/गो० (८)/१०९८४/२०१४-१५, दिनांक 26.11.2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/ सत्यापन के आधार पर श्री ब्रह्मानन्द पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्री प्रसाद पाण्डेय की शैक्षिक अर्हता उत्तर मध्यमा परीक्षा, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं कुक्कुट विकास सेवानियमावली, 2002 यथा संशोधित नियमावली,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2013 के भाग-4 के नियम-8(एक) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के अनुसार नहीं है, जिसके कारण याची के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उत्तर मध्यमा परीक्षा, मान्य नहीं है।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2018/1642(1)/37-3-2017 तदद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. सचिव, ३०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, शाहमीना रोड, लखनऊ।
4. अपर निदेशक ग्रेड-२, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
6. श्री ब्रह्मानन्द पाण्डेय पुत्र स्व० चन्द्री प्रसाद पाण्डेय ग्राम-पुरैना, पो०-भटौरा, जनपद- सन्तकबीरनगर, पिन कोड-272270।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepur.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।